19.10.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथी। सं. 1 व 2 के वकील उप0। विप्रार्थी सं. 3 के वकील अनुपस्थित।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया, कि प्रार्थी तथा विप्रार्थी सं. 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा निबलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 378 रकबा 4. 5870 हैक्टर व खसरा संख्या 110 /2 रकबा 0.1618 हैक्ट आया हुआ है। विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त कब्जा काश्त व संयुक्त खातेदारी की सम्पति है। विवादित आराजी के खसरा नम्बर 378 में प्रार्थी का 142/567 हिस्सा व खसरा नम्बर 110/2 में 1/4 हिस्सा है। राजस्व रेकर्ड में हम पक्षकारान के हिस्सा पृथक पृथक अंकित है लेकिन [illegible] रेकर्ड मे खाता अभी संयुक्त है तथा उपरोक्त हिस्सो [illegible] मौके पर काबिज हैं। लेकिन मौके पर किसी प्रकार की म[illegible] बनी हुई नही है [illegible] कानूनी बंटवारा किया हुआ नही होने के कारण विप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की खातेदारी मे हस्तक्षेप करते है। इस आराजी में काश्त करने वालो के

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

92/2020

परिवार बड़ा हो जाने से संख्या बढ़ गई है तथा उक्त विवादित आराजी का राजस्व रेकर्ड में कानूनी रूप से बंटवारा नही कर अपने अपने खातेदारी हिस्सा पृथक किये हुए नही होने से विप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है एवं फसल बुआई व पैदावार के बटोरने के समय विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है फलतः प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कर विवादित आराजी में प्रार्थी का निस्फ हिस्सा पृथक कराने का कहा, जिस पर विप्रार्थीगण सहमत भी हो गये परन्तु वर्तमान में जमीनों के दाम में बढ़ोतरी होने से तथा किसी अन्य अनजान व्यक्ति को बैचान करने की नीयत में खोट आने से विभाजन कराने हेतु मना कर दिया गया। कि विप्रार्थी संख्या 1 जो प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 व 3 का पिता है। जिसको यह जमीन विरासत में मिली है। जिसने बिना विधिक परिवार की आवश्यकता के, विप्रार्थी संख्या 2 के दबाब में आकर भूमि अन्तरण करने का मानस बनाया गया हैं विप्रार्थी संख्या 2 अनुचित दबाब बनाकर विप्रार्थी संख्या 1 की भूमि अपने नाम करवाना चाहता है। जबकि विवादित आराजी में प्रार्थी व विप्रार्थीगण सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज है और सभी का काश्त व कब्जा संयुक्त चला आ रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मौजा निबलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 378 रकबा 4.5870 हैक्टर व खसरा संख्या 110/2 रकबा 0.1618 हैक्टर का विप्रार्थीगण बैचान, रहन या अन्तरण नहीं करे व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

इसके विपरित विप्रार्थी सं. 1 व 2 के वकील की बहस है कि विवादित आराजी खसरा सं. 110/2 रकबा 0.1618 हैक्टयर मौजा निम्बलकोट में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा तथा विप्रार्थी [illegible] 02 [illegible] 3/4 हिस्सा है, तथा खसरा सं. 378 रकबा 4.5870 हैक्टयर मौजा निम्बलकोट में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा है, मौके पर मौखिक बंटवाड़ा तथा जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण अपने हिस्से में काबिज है, विप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने हिस्से की भूमि में लागत लगाकर भूमि को उपजाऊ बनाया, तथा मौके पर विप्रार्थी सं. 1 व 2 के ठांव पशुओं के बाड़े, टांके, ढ़ाणी इत्यादि बने हुए है। विप्रार्थी सं. 1 व 2 ने कभी भी विवाद नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

किया, विप्रार्थी सं. 1 व 2 वादग्रस्त आराजी के मौके पर काबिज अनुसार प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य बंटवाड़ा किया जा सकता है। विप्रार्थी सं. 1 व 2 के कोई बेचान करने की वार्ता ही नहीं हुई, और न विप्रार्थी सं. 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी बेचान ही करनी है। विप्रार्थी स. 01 विप्रार्थी सं. 02 के साथ ही निवास कर रहे है तथा विप्रार्थी सं. 01 की सेवा चाकरी भी विप्रार्थी सं. 02 द्वारा ही की जाती रही है, विप्रार्थी सं. 02 ने किसी प्रकार का कोई अनुचित दवाब नहीं दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों की परिधि के रहते अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने एव अपने हिस्से का बेचान, बक्शीश, रहन, ट्रांसफर करने का पुर्ण अधिकार प्राप्त है। कोई सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है, जैसा कि उपर निवेदन किया जा चुका है, कि रेकर्डेड खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग करने का अधिकार है, और इसी अधिकार के तहत एक खातेदार टिनेन्ट अपनी भूमि के हिस्से का बेचान किया जाता है, तो खरीददार उसके स्थान पर स्थापित होगा जिससे प्रार्थी को अपुरणीय क्षति या असुविधि होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, यदि दौराने दावा अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी कर काबिज रेकर्डेड खातेदार को निषेद्याज्ञा से निषेधित किया जाता है, तो तुलनात्मक असुविधा एवं क्षति विप्रार्थीगण को अधिक होगी, तथा विप्रार्थीगण अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित रहेगें, दौराने दावा अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी करने से सुविधा का सन्तुलन, अपुरणीय क्षति, साम्या का पवित्र सिद्धान्त प्रार्थी के हक में विद्यमान नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरर्थक तथ्यों का होने से व्यय सहित खारिज किया जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेंचन एवं अद्यतन किया। जिसके अनुसार पाया [illegible] विवादित आराजी मौजा निम्बलकोट तहसील [illegible] जिला बाड़मेर [illegible] खेत खसरा संख्या 378 रकबा 4.5870 [illegible] खसरा संख्या 110 /2 रकबा 0.1618 हैक्ट आया हुआ है। विवादित आराजी [illegible] की संयुक्त कब्जा काश्त व संयुक्त खातेदारी की सम्पति है। प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की सुतुष्टि है कि किसी सामलाती अथवा संयुक्त खातेदारी के खेत में जब तक की पक्षकारान् के मध्य विधिवत बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक सहखातेदार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22.16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

92/2020

विवादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इंच की जोत पर सामलाती हक माना जाता है। चूंकि पक्षकारान के मध्य विवाद का मूल कारण पक्षकारान के सामलाती जोत के कब्जा काश्त एवं उसके विधिवत विभाजन को लेकर है। यदि दौराने वाद में किसी पक्षकार द्वारा अपने हिस्से की सामलाती भूमि का बेचान इत्यादि करने अथवा मूल वाद के निर्णय से पूर्व वर्तमान रेकर्ड में कोई रदोबदल की परिस्थितियां उत्पन्न होती है अथवा मौका परिस्थितियों में कोई भिन्नता प्रकट होती है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य कब्जा काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न होने के साथ ही अनावश्यक कानूनी पैचिदगियां बढ़ जायेगी तथा विवाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब की प्रबल संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में अदालत मूल वाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों को जरिये स्थगन के पाबन्द किया जाना उचित समझती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 3 को जरिये निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी मौजा निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 378 रकबा 4.5870 हैक्टर व खसरा संख्या 110 /2 रकबा 0.1618 हैक्ट के संबंध में किसी प्रकार का बैचान इत्यादि नहीं कर अपने–अपने हिस्से तक की भूमि काबिज अनुसार मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested